न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–76/2011

CIS NO. TS 264/2018

विजय कुमार गुप्ता.....वादी

बनाम

राधेश्याम मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.11.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2025 पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है। उक्त वाद के दाखिल कागजातों का पक्का नकल प्राप्त करने हेतु प्रतिवादीगण के अधिवक्ता अभिलेख अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कछ कागजातों का प्रदर्श अंकित नहीं हुआ है। इस वाद में दाखिल कागजात लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है और कुछ कागजात 30 वर्ष पुराना है, जिसे प्रदर्श होने में वादी को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यदि इस वाद में दाखिल कागजातों को प्रदर्श नहीं होता है तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी और उचित न्याय निर्णत से वंचित हो जाएगा। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दाखिल कागजातों को प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। कागजातों का विवरण (1) न्यायालय टी0 नाथ कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेतिया टी0 आर0 नं0–156/2014, दिनांक 13.02.1991 का आदेश फलक। (2) कोर्ट ऑफ सेसन अप्लीएट जुरिडिक्सन क्रिमीनल अपील नं0–113/1966 का जजमेन्ट। (3) दस्तावेज सं0–5240 रामनारायण साह बनाम सुरूज नारायण मिश्र दिनांक 20.07.1948 (4) दस्तावेज सं0–5241 रामनारायण साह बनाम सुरूज नारायण मिश्र। (5) दस्तावेज सं0–4544, दिनांक 06.09.1934 पंडित	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–76/2011

CIS NO. TS 264/2018

विजय कुमार गुप्ता.....वादी

बनाम

राधेश्याम मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.11.2025	शक्तिनाथ मिश्र बनाम रामनारायण साह। (6) दस्तावेज सं0–1757, दिनांक 05.03.1945 शक्तिनारायण मिश्र बनाम सुर्य नारायण मिश्र। (7) दस्तावेज सं0–9399, दिनांक 26.12.1964 रामकली देवी बनाम खोभारी महतो। (8) अंचलाधिकारी द्वारा जमाबंदी नं0–27 तारा प्रसाद मिश्र का प्रमाण पत्र। वादी के तरफ से प्रतिवादी के आवेदन दिनांक 11.09.2025 का प्रतिउत्तर दिनांक 07.10.2025 को दाखिल किया गया एवं कथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 11.096.2025 न तो तथ्यों के आलोक में और न विधि की दृष्टि में परिपोषणीय है, बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 11.10.2018 से प्रतिवादी के बहश वास्ते आ रहा है, यानि सात वर्षो से सिर्फ प्रतिवादी के बहस हेतु आ रहा है, जिसके दौरान भी कई बार अभिलेख बंद हुआ और कॉस्ट लगाकर रिकॉल किया गया। यह मामला काफी पुराना होने के कारण वादी को सुनकर गुण–दोष के आधार पर मुकदमें का फैसला करने के लायह है वो इन्ही कारणों से भी प्रतिवादी का आवेदन खारिज होने के लायक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2025 को खर्चा सहित खारिज फरमाया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए, जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–76/2011</u>

<u>CIS NO. TS 264/2018</u>

विजय कुमार गुप्ता.....वादी

बनाम

राधेश्याम मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.11.2025	11.09.2025 को मो0–1000 रूपये के हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 09.12.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	